# न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, email Courtscdbihar@gmail.com, website –www. scdisabilities.org

पत्रांक-1547/आ०नि०क्रो० दिनांक-21 दिसम्बर2020

**आदेश,**

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-92/2019

सेवा में,

अपर जिला सत्र न्यायाधीश- 16,
सिविल कोर्ट, पटना।

**प्रकरण में:-** **दिव्यांग को उनके पिता और सौतेली माँ के दवारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने। घरेलु एवं जमीनी विवाद के संबंध में श्री दीपक कमार (मो0-7491038375) ग्राम-परियों, पो0-मखलीमपुर, थाना-पालीगंज, जिला-पटना द्वारा समर्पित परिवाद पत्र।**

**बनाम :-** **(1) श्री राम पुकार सिंह, ग्राम-परियों, पो0-मखलीमपुर, थाना-पालीगंज, जिला-पटना-801110**

**(2) थाना प्रभारी, पालीगंज,पटना।**

**(3) अंचल अधिकारी, प्रखंड- पालीगंज, जिला- पटना।**

महाशय,

वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित हैं। वाद में यह शिकायत की गई है कि दिव्यांग परिवादी को उनके पिता द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता है। अपने हिस्से का घर, जमीन का हक मॉगने पर उनके पिता द्वारा गाली-गलौज किया जाता है तथा जान से मारने की कोशिश की जाती है। उनके पिता द्वारा उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। वादी का पालन-पोषण उनके दादा श्री चन्द्रदेव सिंह द्वारा किया जा रहा है, जिस कारण वादी के पिता एवं सतेली मॉ वादी एवं उनके दादा को घर से बाहर निकाल दिया गया है।

श्री राम पुकार सिंह, ग्राम-परियों, पो0-मखलीमपुर, थाना-पालीगंज, जिला-पटना एवं थाना प्रभारी पालीगंज को प्रतिवादी के रूप में अंकित जवाब समर्पित करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था।

प्रतिवादी के द्वारा समर्पित जवाब संचिका में संधारित है। आज श्री सुनील कुमार, थाना प्रभारी पालीगंज उपस्थित होकर अपना जवाब समर्पित किया है जिसमें इस बात का उल्लेख किया है कि उनके द्वारा घटना की जॉच खुले एवं गोपनीय रूप से की गई है। जॉच के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी है कि दिव्यांग दीपक कुमार, पिता- श्री राम पुकार सिंह दो भाई हैं। (1) दीपक कुमार (दिव्यांग) (2) ज्योति कुमार। इन दोनों के मॉ की मृत्यु होने के बाद इनके पिता-श्री राम पुकार सिंह दूसरी शादी कर लिए। दूसरी पत्नी के घर आते ही इन दोनों के सतेली मॉ इन दोनों भाइयों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से कष्ट देने लगा। दोनों भाइयों के दुख को देखकर इन दोनों भाइयों के दादा चन्द्रदेव सिंह, पिता- स्व0 राम दयाल वर्मा अपने पोता दिव्यांग दीपक कुमार के नाम 2 बीघा $17\frac{1}{2}$ (साढ़े सतरह कट्ठा) जमीन बसीयत कर दिए। उपरोक्त बसीयत किए गए जमीन इनके दादा चन्द्रदेव सिंह को

कृ0पृ0उ0.....

उनके चाची के द्वारा दान पत्र दिया गया था। चूँकि चाची-चाचा नावाद थे। चन्द्रदेव सिंह के सेवा-श्रुसा पर खुश होकर उक्त जमीन उनके चाची द्वारा दान पत्र दिया गया था। जिस दिन से चन्द्रदेव सिंह अपने पोता दीपक कुमार, पिता- श्री राम पुकार सिंह के नाम उक्त जमीन बसीयत किया, उसी दिन राम पुकार सिंह एवं किशुन बिहारी, पिता-श्री चन्द्रदेव सिंह उनके परिवार के सभी लोग मिलकर बुढा चन्द्रदेव सिंह को भी शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देकर घर से बाहर निकाल दिया। चन्द्रदेव सिंह अभी अपनी बेटी के ससुराल में रह रहे हैं। चन्द्रदेव सिंह एवं किशुन बिहारी सिंह के परिवार का कहना है कि दिव्यांग दीपक कुमार को बसीयत किया गया जमीन हम सभी परिवार वाले बॉटकर लेंगे तभी अपने पिता- श्री चन्द्रदेव सिंह एवं अपने दोनों बेटा (1) दिव्यांग दीपक कुमार (2) ज्योति कुमार को घर में रहने देंगे। अभी सभी जमीन राम पुकार सिंह एवं किशुन बिहारी सिंह के ही खास है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगों के वाद के निष्पादन हेतु विशेष कोर्ट प्रत्येक जिला में गठित है। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश-16, पटना को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत विशेष दिव्यांगों से संबंधित वाद के निष्पादन हेतु विशेष कोर्ट के रूप में अधिसूचित है। इस वाद के निष्पादन हेतु संचिका को मूल रूप में अग्रेतर सुनवाई हेतु स्थानांतरित करना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि संचिका को मूल रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश-16, पटना के न्यायालय में स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें। वादी एवं प्रतिवादी वाद से संबंधित तथ्य उपस्थापन उक्त न्यायालय में करेंगे।

उक्त के क्रम में इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

21/12/20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन
सं०सं.....
बिहार, पटना